2022/98

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, गिर्वा जिला उदयपुर
पीठासीन अधिकारी अवुला सांई कृष्ण, आई.ए.एस.

प्रकरण संख्या 42/2022 वाद GCMS No. 2022/98

1. श्री नानिया पिता स्व. सवा जी भील आयु वयस्क, निवासी पाबाफला, पई, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर
2. श्री वरदीचन्द पिता स्व. लालू जी भील आयु वयस्क, निवासी पाबाफला, पई, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर
3. श्री रतनलाल पिता स्व. लालू जी भील आयु वयस्क, निवासी पाबाफला, पई, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर

.....वादीगण

बनाम

1. मन्दिर पावा बावजी फतहनगर वाला जरिये प्रबन्धक/पुजारी श्री भेरूलाल पिता धर्मा जी भील आयु वयस्क, निवासी पाबाफला, पई, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर
2. श्री दितराज पिता धर्मा जी भील आयु वयस्क, निवासी पाबाफला, पई, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर
3. श्री शंकरलाल पिता धर्मा जी भील आयु वयस्क, निवासी पाबाफला, पई, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर
4. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार, गिर्वा, जिला उदयपुर

.....प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम
वास्ते स्थाई निषेधाज्ञा

उपस्थित :-
1. वादीगण अधिवक्ता श्री लोकेश गहलोत।
2. प्रतिवादीगण अधिवक्ता श्री कृष्ण सिंह चौहान।

निर्णय

दिनांक : 09.09.2025

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि वादीगण द्वारा वाद अन्तर्गत धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रस्तुत कर अंकित किया कि राजस्व ग्राम पई, पटवार हल्का पई, भू अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र नाई, तहसील गिर्वा, जिला–उदयपुर (राज.) के खाता संख्या 27 की आराजी संख्या 5823 रकबा 0.1350 हैक्टैयर, आराजी संख्या 5824 रकबा 0.0250 हैक्टेयर, आराजी संख्या 5826 रकबा 0.4400 हैक्टेयर, आराजी संख्या 5827 रकबा 0.0150 हैक्टैयर आराजी संख्या 5839 रकबा 0.2000 हैक्टैयर व आराजी संख्या 5844 रकबा 0.4700 हैक्टैयर भूमि वादीगण के सहखातेदारी एवं आधिपत्य की स्थित है। वादीगण की उक्त कृषि भूमि के पास ही प्रतिवादी सं. 1 के खातेदारी की कृषि भूमि आराजी संख्या 5825 रकबा 0.0700 हैक्टैयर स्थित है, लेकिन वादीगण की उक्त भूमि से प्रतिवादीगण का कोई लेना

उपखण्ड अधिकारी
गिर्वा, उदयपुर

3. यह कि वादी एवं प्रतिवादीगण के मध्य स्वेच्छा से आपसी सहमति एवं लोक अदालत की भावना से प्रेरित होकर समझौता हो गया हैं तथा समझौते के अंतर्गत वादी आराजी संख्या–5825 जो कि आराजी संख्या–5823, 5824, 5826, 5827, 5839, 5844 के मध्य स्थित हैं एवं जिसका स्वामित्व एवं आधिपत्य प्रतिवादीगण का हैं तथा उक्त आराजी संख्या – 5825 में जो पावा बावजी का मंदिर निर्मित हैं जो वर्तमान में प्रतिवादीगण एवं उनके वारिसान के हक व हिस्से में हैं व रहेगा तथा उक्त मंदिर में आने वाले प्रतिवादीगण एवं उनके वारिसान, सभी श्रद्धालु एवं भक्तजन जिस रास्ते से बरसों से उक्त मंदिर में आ जा रहे हैं जो कि आराजी संख्या–5824 में स्थित हैं, उसी भूमि से भविष्य में भी आते जाते रहेगे जिसमें वादी एवं उसके वारिसान कभी किसी प्रकार का कोई उजर एतराज नही करेगें ना ही भविष्य में उन्हें ऐसा कोई उजर एतराज करने का हक व अधिकार रहेगा। प्रतिवादीगण उक्त आ. स. 5824 में से केवल आने जाने का अधिकार होगा। इसी प्रकार प्रतिवादीगण भी अपने स्वामित्व की आराजीयात पर बने मंदिर के अलावा वादी की किसी अन्य आराजीयात में किसी प्रकार का उजर एतराज या हक नही जतायेगें। प्रतिवादीगण अपनी आराजी से अधिक हिस्से पर किसी प्रकार का कोई निर्माण कार्य या आधिपत्य नही करेगें।

4. यह कि वादी एवं प्रतिवादीगण भविष्य में सौहादपूर्ण वातावरण बनाकर रहेगें तथा एक दुसरे पर आरोप प्रत्यारोप छिटांकशी नहीं करेगें तथा अपने अपने हिस्से की जमीन पर काबिज होकर सौहादपूर्ण वातावरण में रहेगें।

5. यह कि प्रार्थना पत्र पूर्ण न्याय शुल्क पर प्रस्तुत हैं।

अतः निवेदन हैं कि प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर वादी एवं प्रतिवादीगण के मध्य उपरोक्त अनुसार हुए राजीनामा के आधार पर प्रकरण का निस्तारण करते हुए राजीनामा से उक्त प्रकरण में डिक्री पारित फरमायी जावें।

प्रकरण में वादीगण एवं प्रतिवादीगण द्वारा राजीनामा प्रस्तुत कर राजीनामा डिक्री किए जाने का निवेदन किया गया। वादीगण को उनके अधिवक्ता श्री लोकेश गहलोत तथा प्रतिवादीगण को उनके अधिवक्ता श्री कृष्ण सिंह चौहान द्वारा पहचाना गया। पक्षकारान द्वारा प्रस्तुत राजीनामा पढकर उन्हें सुनाया गया। वादीगण एवं प्रतिवादीगण द्वारा उक्त राजीनामा स्वयं द्वारा तैयार करवाया जाना स्वीकार किया जाकर राजीनामा अनुसार वाद डिक्री किए जाने का निवेदन किया गया।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रस्तुत राजीनामा का विस्तृत अवलोकन किया गया। वादीगण द्वारा वाद प्रस्तुत कर अपनी खातेदारी आराजीयात 5823, 5824, 5826, 5827, 5839, 5844 पर प्रतिवादीगण के विरूद्ध स्थाई निषेद्याज्ञा की डिक्री चाही गई थी। परन्तु वादीगण एवं प्रतिवादीगण द्वारा राजीनामा प्रस्तुत कर

उपखण्ड अधिकारी
गिर्वा, उदयपुर

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी गिर्वा, उदयपुर
प्रकरण संख्या 42/2022 राजस्व वाद
अनवान श्री नानिया वगैरह बनाम मन्दिर पावा बावजी वगैरह
निर्णय वाद अन्तर्गत धारा 188 RTA राजीनामा डिक्री

डिक्री व मुकद्मे इब्तदाई

(आदेश 20 के नियम 6 और 7 सि.प्र.सं.)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, गिर्वा, उदयपुर मुकाम गिर्वा–उदयपुर पीठासीन अधिकारी अबुला सांई कृष्ण, आई.ए.एस. मुकद्मा 42/2022 सन 2022 सीगह वाद (1)श्री नानिया पिता स्व. सवा जी भील आयु वयस्क, निवासी पाबाफला, पई, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर (2)श्री वरदीचन्द पिता स्व. लालू जी भील आयु वयस्क, निवासी पाबाफला, पई, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर (3)श्री रतनलाल पिता स्व. लालू जी भील आयु वयस्क, निवासी पाबाफला, पई, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर बनाम (1)मन्दिर पावा बावजी फतहनगर वाला जरिये प्रबन्धक/पुजारी श्री भेरूलाल पिता धर्मा जी भील आयु वयस्क, निवासी पाबाफला, पई, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर (2)श्री दितराज पिता धर्मा जी भील आयु वयस्क, निवासी पाबाफला, पई, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर (3)श्री शंकरलाल पिता धर्मा जी भील आयु वयस्क, निवासी पाबाफला, पई, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर (4)राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार, गिर्वा, जिला उदयपुर वाद अन्तर्गत धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का

यह मुकद्मा आज वास्ते अन्तिम निपटारा किये जाने अबुला सांई कृष्ण, आई.ए.एस. के समक्ष प्रस्तुत हुआ। वादी अधिवक्ता श्री लोकेश गहलोत एवं प्रतिवादी अधिवक्ता श्री कृष्ण सिंह चौहान की उपस्थिति में आदेश दिया जाता है कि :–

वादीगण एवं प्रतिवादीगण द्वारा प्रस्तुत राजीनामा के आधार पर वादीगण का वाद आंशिक स्वीकार किया जाकर प्रतिवादीगण संख्या 1 से 3 को इस आशय की स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है कि राजस्व ग्राम पई पटवार मण्डल पई तहसील बारापाल में वादीगण की सहखातेदारी में दर्ज आराजी संख्या 5824 का उपयोग मन्दिर के नाम दर्ज आराजी संख्या 5825 पर आने जाने हेतु केवल मात्र रास्ते के रूप में उपयोग करेंगे तथा वादीगण की अन्य सहखातेदारी में दर्ज आराजीयात 5823, 5826, 5827, 5839, 5844 में किसी प्रकार की दखलअंदाजी नहीं करेगें। कृत्य न तो स्वयं करेंगे तथा नहीं किसी अन्य से करवायेंगे। साथ ही वादीगण को आदेशित किया जाता है कि वे प्रतिवादीगण को आराजी संख्या 5824 का मन्दिर पर आने जाने के लिए रास्ते के रूप में उपयोग करने से नहीं रोकेंगे। प्रस्तुत राजीनामा डिक्री का अभिन्न अंग रहेगा।

और इस वाद के खर्चे लेखे ....×.......रुपये की राशि.......×.......आज की तारीख से वसूली की तारीख तक उस पर ....×.......प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से ब्याज सहित ×....... ..द्वारा ....×.........को दी जाए।

यह आज तारीख ....09.......... माह ....09.... सन् ......2025...... को मेरे से हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगा कर दी गई।

हस्ताक्षर न्यायाधीश ....

पद ....उपखण्ड अधिकारी गिर्वा, उदयपुर..........

उपखण्ड अधिकारी गिर्वा, उदयपुर